जोधपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2022 / 1853 दिनांक :: 16 दिसम्बर, 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 16 नवम्बर 2022 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **16 नवम्बर 2022** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **16 नवम्बर 2022** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2022 के कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव संख्या 11 (नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भूतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रेड सील के पश्चात करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज के भुगतान की स्वीकृति बाबत्।) में लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन अपेक्षित है। अतः उक्त प्रस्ताव के निर्णय को निम्नलिखित अनुसार संशोधित करते हुए शेष कार्यवाही विवरण तथा लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि करने का निर्णय लिया गयाः–

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि "नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रेड सील के पश्चात करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज के भुगतान की स्वीकृति बाबत्" प्रकरण राज्य सरकार को भुगतान की स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे तथा समान प्रकृति के अन्य शेष प्रकरण एक साथ निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जावे।"

प्रस्ताव संख्या 2 :: सेवानिवृत कार्मिकों की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	यह घोषणा की जाती है कि प्राधिकरण के कार्मिकों के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत होने के कारण रिक्त हुए पदों के विरूद्व सेवानिवृत कार्मिकों को समेकित पारीश्रमिक पर लगाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं

प्राधिकरण में निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिकों को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में, प्राधिकरण में रिक्त पदों के विरूद्व कार्मिकों की सेवाए समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली गई है। :–

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	सेवानिवृत पदनाम	आदेश क्रमांक	दिनांक	रिक्त पद के विरूद्ध
1.	श्री बजरंग सिंह पंवार	निजी सचिव	4874—77	08.12.2022	वरिष्ठ निजी सहायक
2.	श्री रामस्वरूप शर्मा	अति.प्रशा. अधिकारी	4879—82	08.12.2022	अति.प्रशा. अधिकारी

कार्मिक (क—2) विभाग राजस्थान, सरकार, जयपुर के परपित्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कार्मिकों को एक वर्ष या प्राधिकरण की आवश्यकता तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखा गया है।

उपरोक्तानुसार सेवानिवृत कार्मिकों को माननीय आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्राधिकरण में निर्धारित पारिश्रमिक पर राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार संविदा पर लगाया गया उक्तानुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी हेतु नियुक्त पैनल अधिवक्ता के सहायक के रूप में कार्यरत सहायक अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2022 के प्रस्ताव संख्या 8(5) द्वारा लिये गये निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ—42/विधि/जेडीए/2020/1152, दिनांक 12.03.2020 के द्वारा सहायक अधिवक्ता के रूप में श्री बालाराम एवं श्री विकास जोशी को प्रति माह 5,000/—रूपये मान देय पर नियुक्त किया गया है।

श्री बालाराम एवं विकास जोशी सहायक अधिवक्ता ने दिनांक 10.11.2022 को आयुक्त महोदय, जोधुपर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर मानदेय राशि 5,000/— प्रति माह से बढा कर राशि रूपये 15,000/— प्रति माह करने का निवेदन किया है।

सहायक अधिवक्ता के मानदेय बढाने के संबंध में निदेशक (वित्त) से टिप्पणी प्राप्त की गई। निदेशक (वित्त) ने टिप्पणी की है कि सहायक अधिवक्ता का कार्य सिमित होने के कारण मानदेय में 500/—रूपये से 1,000/—रूपये की बढोत्तरी पर निर्णय लिया जा सकता है।

उक्तानुसार सहायक अधिवक्ताओं की मानदेय में वृद्धि हेतु उचित निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मानदेय में 1000/— रूपये की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार/जीप /बोलेरो /एस.यु.वी की निविदा स्वीकृति प्रकरण।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार जीप/बोलेरो एस.यु.वी की निविदा स्वीकृति प्रकरण	कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उक्त निविदा आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति में अनुमोदन कि प्रत्याशा में स्वीकृत कि गई अतः निविदा अनुमोदन कि अनुशंषा कि जाती है।

प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये संविदा के आधार पर किराये के वाहन लेने हेतु वितीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–2024 हेतु राशि रू 350.00 लाख कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी की गई है वितीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–2024 में उक्त कार्य हेतु ई बिड सूचना संख्या 22/2022–23 दिनांक 10.11.2022 को जारी की गई. तकनिकि बिड खोलने के निधरित दिनांक तक दो निविदाताओ द्वारा प्रस्तुत कि गई, जिसमे मैसर्स सिक्योर गार्ड सिक्युरिटी और मेन पावर सविर्सिजे द्वारा निविदा मे ऑनलईन धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं निविदा प्रक्रिया शुल्क जमा नही करवाने के कारण राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 55(9) अनुसार निविदा पर विचार नही किया गया तथा मैसर्स मनीराम चौधरी द्वारा तकनिकी बिड मे वांछित योग्यता पूर्ण करने के कारण तकनिकी मूल्यकंन मे सफल (Responsive) घोषित करते हुए राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 63(4) अनुसार उक्त कार्य आवश्यक प्रकृति का होने तथा वर्तमान चालू दर सविदा की वितीय सीमा पूर्ण हो जाने एवं नई निविदा जारी करने पर समय लगने की सम्भावना को ध्यान मे रखते हुए कार्य की एकल निविदा प्रक्रिया जारी रखते हुए दिनांक 05.12.2022 को वितीय बिड खोली गई। मैसर्स मनीराम चौधरी द्वारा नेगोशियशन मे उक्त कार्य हेतु निम्न अनुसार दर प्रस्तुत की गई :–

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तुत दरें
1.	2000 कि.मी तक चलने पर प्रतिमाह प्रतिवाहन की दरें	35400/– प्रतिमाह
2.	2000 कि.मी से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दरें	10/– प्रति कि.मी

कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता तथा ईधन की बढती हुई दरो के कारण प्रस्तुत दर उचित मानेन हुए उपापन सिमिति की अनुशंषा पर आयुक्त महोदय, द्वारा कार्यकरी समिति मे अनुमोदन की प्रत्याशा मे स्वीकृत की गई। अतः मैसर्स मनीराम चौधरी द्वारा प्रस्तुत नेगोश्यिसन दरे 2000/– कि.मी. तक परिचालन पर रू 35400/– प्रति माह तथा 2000/– कि.मी. से अधिक चलने पर रू 10/– प्रति कि.मी. अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति मे प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव की तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड की दरों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में विकास कार्यो में रूपये 500.00 लाख से अधिक की बिड तैयार करते समय संवेदक से एक वाहन प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण हेतु उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा जावे। इस हेतु पृथक से राशि देय नहीं होगी।

प्रस्ताव संख्या 5 :: बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के दक्षिण पवैलियन के रिनोवेशन नवीनीकरण का कार्य के समयावधि प्रकरण व Price Escalation के संबंध मे।

Scanned with CamScanner

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के दक्षिण पवैलियन के रिनोवेशन नवीनीकरण का कार्य के समयावधि प्रकरण व Price Escalation की स्वीकृति की अभिशंषा की जाती है।

बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के दक्षिण पवैलियन के रिनोवेशन नवीनीकरण का कार्य के अनुबंध संख्या एफ (31)2021–22/HQ के तहत कार्यादेश जारी किया गया था, कार्यादेश राशि रू. 48419937.00 व कार्य पूर्ण समयावधि 8 माह थी पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 23.10.2021 थी कार्य समयावधि के दौरान आई बाधाओ (कोरोना द्वितीय वेव, डिजाईन, इंटीरियर कार्यो को अंतिम रूप देने में देरी) के कारण कार्य समय पर पूर्ण नही हो सका। कार्य में लगा समय 250 दिन (242+8) + विलम्ब समय 222 दिन कुल अवधि 472 दिन है जो मूल अवधि से 1.88 गुणा है। एसओपी के बिन्दु सं. 28 (।।) के अनुसार उक्त प्रकरण के समयावधि की स्वीकृति की सक्षमता "Next Higher Authority of bid sanctioning authority" जो प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निहित है। विलम्ब की सम्पूर्ण अवधि, समयावधि प्रकरण के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को उतरदायी माना गया है। साथ ही फर्म द्वारा अनुबंध के Clause 45 के अनुसार कार्य का Price escalation राशि रू. 65.60 लाख का प्रस्तुत किया है। दोनो प्रकरणो का परीक्षण उपरांत सक्षम स्तर से स्वीकृति की अनुशंषा की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार समयावधि प्रकरण बिना शास्ति के व Price Escalation के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार समयावधि प्रकरण बिना शास्ति के व Price Escalation के सहित भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 06 :: प्राधिकरण के विभिन्न अवसरो पर कार्यक्रमो में लगाये जाने वाले टेन्ट फर्नीचर में संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	प्राधिकरण के विभिन्न अवसरो पर कार्यक्रमो में लगाये जाने वाले टेन्ट फर्नीचर में संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 300.00 लाख की (Total Rs. 200.00 + Rs. 100.00 =Rs. 300.00) की स्वीकृति अनुशंषा की जाती है।

प्राधिकरण के विभिन्न अवसरो पर कार्यक्रमो में लगाये जाने वाले टेन्ट फर्नीचर की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति मूल प्रशा एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 200.00 लाख को RTPP नियमानुसार 50 प्रतिशत तक कार्य की बढोतरी करते हुए कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक वितीय स्वीकृति राशि रू. 300.00 लाख की (Total 200.00+100.00=300.00) कार्यकारी समिति समक्ष है। पूर्व में उक्त संशोधित स्वीकृति आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.10.2022 को कार्यकारी समिति में स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी कर दि गई है। अतः इसका अनुमोदन कार्यकारी समिति में करवाये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 07 :: मल्टीलेवल पार्किंग एवं यातायात पुलिस कार्यालय भवन नई सडक चौराहा, सोजती गेट फेस–द्वितीय के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	मल्टीलेवल पार्किंग एवं यातायात पुलिस कार्यालय भवन नई सडक चौराहा, सोजती गेट फेस–द्वितीय के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

मल्टीलेवल पार्किंग एवं यातायात पुलिस कार्यालय भवन नई सडक चौराहा, सोजती गेट फेस–द्वितीय के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 2100.00 लाख की स्वीकृति कार्यकारी समिति से अनुमोदन/स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी की गई थी। S.O.P के भाग–1 works के कमांक 01 में वर्णित सक्षमताओ के अनुसार उक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित है।

अतः कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 2100.00 लाख की ई.सी. की प्रत्याशा में जारी स्वीकृति का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 08 :: प्राधिकरण परिसर में स्थित नई बिल्डिंग हेतु फर्नीचर कय करने का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	प्राधिकरण परिसर में स्थित नई बिल्डिंग हेतु फर्नीचर कय करने का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

प्राधिकरण परिसर में स्थित नई बिल्डिंग हेतु फर्नीचर कय करने का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 165.50 लाख की स्वीकृति हेतु एसओपी के भाग–2 Goods & Services के कमांक 01 में वर्णित सक्षमताओ के अनुसार उक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित है।

अतः जारी की गई प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 165.50 लाख की कार्योतर स्वीकृत का प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 09 :: पावटा चौराहा नेनी बाई मंदिर स्टेंडियम कालटेक्स तक 3/4 लेन सडक निर्माण कार्य के माप पुस्तिका में माप के भुगतान की दर पूर्ण करने पर बढी हुई राशि की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	पावटा चौराहा नेनी बाई मंदिर स्टेंडियम कालटेक्स तक 3/4 लेन सडक निर्माण कार्य के माप पुस्तिका में माप के भुगतान की दर पूर्ण करने पर बढी हुई राशि की स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक पं.10(1)नविवि/1/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 5 जून, 2020 द्वारा गठित समिति जिसमें जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक पं.40(35) सामान्य/2020/3974 दिनांक 16.06.2020 द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.10(01)नविवि/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 29.10.2021 के तहत गैर राजकीय भूमि, अधिक वं अतिरिक्त कार्यो एवं स्थान परिवर्तन कर कराए गये विकास कार्यो का भुगतान किया जा रहा है जिसमें कार्यो का कमेटी द्वारा प्रस्तावित भुगतान/व्यय तथा मापपुस्तिका में माप के भुगतान की दर पूर्ण करने पर बढी हुई राशि जो निम्नानुसार है :–

क्र. सं	कार्य का नाम	अनुबंध	कमेटी द्वारा बताया गया कुल भुगतान	मापपुस्तिका में माप के भुगतान की दर पूर्ण करने पर बढी हुई राशि का भुगतान
01	पावटा चौराहा नेनी बाई मंदिर स्टेंडियम कालटेक्स तक 3/4 लेन सडक निर्माण कार्य	एफ 38 (74) 2013–14	14426638/–	315409/–

पावटा चौराहा नेनी बाई मंदिर स्टेडियम कालटेक्स तक 3/4 लेन सड़क निर्माण के रनिंग बिल के भगुतान के समय Part rate से भुगतान किया गया था। कार्य का अंतिम बिल बनाकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित कार्य माप 6th Running Bill में भुगतान किये गये माप के समान ही है, लेकिन पूर्व में Running Bills में की गई Part Rate को Full rate देने के कारण भुगतान बकाया बन रहा है।

माप पुस्तिका में Running Bills में भुगतान के समय Part rate करने का कारण Cement Concret pavement में Cutting के पश्चात Joint में bitumen न भरे जाने का अंकित किया है। तत्पश्चात संवेदक द्वारा Joints भरे गये थे। जिसके कारण Full rate की गई है।

उक्त प्रकरण स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26 अप्रेल 2022 में रखा गया था बैठक के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 61 में पारित निर्णय अनुसार प्रकरण का परिक्षण निदेशक वित एवं निदेशक अभियांत्रिकी से करवाने के पश्चात कार्य का समयावधि प्रकरण राशि रू. 32020 की शास्ति संवेदक पर आरोपित करते हुए Part rate से full rate पर बन रही राशि रू

Scanned with CamScanner

315409.00 की स्वीकृति की अनुशंषा की गई है। जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है।

अतः आयुक्त महोदय द्वारा किये गये अनुमोदन अनुसार भुगतान जारी करने की स्वीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान निदेशक–अभियांत्रिकी ने अवगत कराया कि संवेदक के बिलों में तकनीकी कारणों से पार्ट रेट (Part Rate) की जाती है तथा अपेक्षित तकनीकी कारणों का समाधान हो जाने के पश्चात् पूर्ण दर (Full Rate) दिये जाने का नियमों में प्रावधान है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव–2023 (6 से 15 जनवरी 2023) में सहभागिता, सहयोग राशि देने बाबत।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव–2023 (6 से 15 जनवरी 2023) में सहभागिता, सहयोग राशि 20.00 लाख देने के निर्णय की अनुशंषा की जाती है।

संयोजक उत्सव 2023 के द्वारा पत्र प्रेषित कर उत्सव के दौरान पूर्व के भाति जोधपुर विकास प्राधिकरण की सहभागिता निभाते हुए पश्चिमि राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के नाम रूप्ये 20.00 लाख की सहभागिता/अनुदान राशि स्वीकृत कराने का निवेदन किया गया है। जिसमें उत्सव आयोजन समिति द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को स्टॉल आवंटित की जायेगी जहां पर जेडीए द्वारा जोधपुर के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं जेडीए की प्रस्तावित योजनाओं को इस उत्सव के माध्यम से आमजन तक प्रचारित किया जा सकेगा। इसके साथ ही प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों एवं उत्सव के दौरान लगाये जाने वाले हॉर्डिग्स बैनर्स इत्यादि के माध्यम से जोधपुर विकास प्राधिकरण का प्रचार प्रसार किया जायेगा।

अतः प्रकरण स्वीकृति एवं निर्णय हेतु प्राधिकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राशि रूपये 20.00 लाख अक्षरे रूपये बीस लाख मात्र का भुगतान करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: Excavation, Removal, Collection, Transportation, Storage and Disposal of Hazardous Waste Sludge from defined stretch of river Jojri as per the directions of Hon'ble NGT in the matter of original application No. 358/2013(THC) M/s Laxmi Suiting V/s State of Rajasthan & Others. व जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट का अनुमोदन व मैसर्स रामकी एनवायरों लिमिटेड हैदराबाद को भुगतान की स्वीकृति बाबत्।

Scanned with CamScanner

क.स	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डे के संबध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डें में अभिंशषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	जोजरी नदी से हटाये गये मलबे की जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुमोदन व मैसर्स रामकी एनवायरो लिमिटेड हैदराबाद को भुगतान की स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है। 1. जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट का अनुमोदन 2. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व क्षैत्रीय अधिकारी की बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन 3. कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राशि 3250 लाख कार्योत्तर स्वीकृति 4. कार्य की एकल निविदा होने के कारण कार्योत्तर स्वीकृति 5. माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 5020/2020 में मैसर्स रामकी एनवायरों लिमिटेड हैदाराबाद को भुगतान की स्वीकृति 6. मैसर्स रामकी एनवायरों लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किये गये कार्य के भुगतान की स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव – द्वितीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.10 (10) नविवि/01/2018 दिनांक 25.01.2021 के निर्देशानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जोजरी नदी से हटाये गये मलबे/हानिकारक स्लज के भुगतान एवं मलबा हटाने के कार्य के भुगतान एवं मलबा हटाने के कार्य निविदा शर्तों के अनुसार संपादित किया गया है या नही, इस बाबत् उक्त प्रकरण की जांच कराने तथा तदनुसार भुगतान के बारे में प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लेने के निर्देश दिये थे। इस संबध में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के आदेश कमांक जोविप्रा/पीएचई/2021–21/78 दिनांक 04.03.2021 ईई/पीएचई/113 दिनांक 29.06.2021 के जरिये उपरोक्त प्रकरण के संबध में कमेटी गठित की गई। कमेटी द्वारा पत्रांक 173 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कमेटी की रिपोर्ट में निम्न सुझाव दिये गये :–

1. कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 3250 लाख की कार्योतर स्वीकृति प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (Executive Commmittee) से करवाकर नियमितिकरण किया जाना अपेक्षित है।

2. कार्य की एकल निविदा होने के कारण तत्कालीन एस.ओ.पी के आईटम स. 9 के फुटनोट स. 11 के अनुसार Next Higher Authority यानि प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (Executive Committee) से निविदा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमितिकरण किया जाना अपेक्षित है।

3. परिवहन में लगाये गये वाहनों में रॉल ऑन/रॉल ऑफ कवर्ड फोल्ड होने की शर्त में कुछ तकनीकी
खामी के कारण भुगतान के समय उसकी "भुगतान दर" पर विचार किया जाना उचित रहेगा।

4. मैसर्स रामकी एनवायरों इंजिनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद से यह अण्डटेकिंग ली जावे कि " Waste is disposed off safely according to all relevant act/ rules of MOEF/CPCB/RSPCB of hazardous waste disposal and if there is any violation of act/rule, TSDF operator (RAKAY) shall be responsible and JODA has no responsibility on this matter."

Scanned with CamScanner

5. बालोतरा वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट स्थल पर स्थित वेस्ट स्लज से संबंधित लैण्डफिड जो वर्तमान मे कवर्ड है, यदि आन्तरिक जानकारी की आवश्यकता हो तो इस क्षैत्र के विषय विशेषज्ञ से जानकारी लेना उचित रहेगा।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर का पत्र कमांक प.10 (10)नविवि/T/2018 जयपुर दिनांक 28.07.2022 के निर्देशानुसार कार्यवाही परिवहन में लगाये गये वाहनों में रोल ऑन/रॉल ऑफ कवर फोल्ड होने के संबध में एवं बालोतरा वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट स्थल पर स्थित वेस्ट स्लज से सम्बन्धित लैण्ड फिल की आंतरिक जानकारी हेतु क्षैत्रीय अधिकारी राज.राज्य.प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को पत्र लिखकर राय मांगी गई व इस सम्बंध में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जोविप्रा जोधपुर एवं क्षैत्रीय अधिकारी राज.राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारियों की बैठक दिनांक 20.10.2022 को जोविप्रा जोधपुर में आयोजित की गई। जिसमें जोजरी नदी से हटाये गये हानिकारक स्लज के परिवहन में उपयोग लाये गये वाहनों का अनुझा पत्र राज.राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा (Management, Handling & Transboundary Movement Rules 2016) जारी किया गया। (संबधित पत्रांक 09.02. 2018, 13.04.2018, 30.04.2018, 17.05.2018, 01.06.2018) परिवहन में प्रयुक्त हुए वाहनों में मैकेनिकल रॉल ऑन/रॉल ऑफ कवर के प्रावधान के बारे में भी क्षैत्रीय अधिकारी राज.राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से जानकारी ली गई जिसके संबध में फोटोग्राफ, क्षैत्रीय अधिकारी, राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जोधपुर एवं बालोतरा को दिखाये गये। इस संबध में क्षैत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि हानिकारक अपशिष्ट के परिवहन से होने वाले पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम के लिए त्रिपाल का उपयोग किया जा सकता है।

मैसर्स रामकी एन्वायरों इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा जोजरी नदी से हटाये गये हानिकारक स्लज के बालोतरा स्थित साईट केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के मापदण्डों अनुसार निस्तारण के संबध में जानकारी चाही गई, जिसके अंतर्गत क्षैत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल बालोतरा एवम जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में जोजरी नदी से निस्तारित किए गए स्लज की लेण्डफिल साईट पर केपिंग कर दी गई है। क्षैत्रीय अधिकारियों राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल बालोतरा एव जोधपुर द्वारा बताया गया कि हानिकारक स्लज का निस्तारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मापदण्डों (परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट प्रबन्धन और सीमापार संचालन नियम 2016 व शर्तो के अनुसार ही बालोतरा टी.एस.डी.एफ को समय समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। उक्त निरीक्षण के आधार पर ही शर्तो की पालना करने पर संबधित एजेन्सी के टी.एस.डी.एफ की अनुज्ञा पत्र और संचालन की अवधि बढाई जाती है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के आदेश कमांक जोविप्रा/पीएचई/2021–21/78 दिनांक 04.03.2021 ईई/पीएचई/113 दिनांक 29.06.2021 के जरिये उपरोक्त प्रकरण के संबध में जांच कमेटी गठित की गई कमेटी द्वारा पत्रांक 173/ दिनांक 28.08.21 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट अनुमोदन।

2. जोविप्रा जोधपुर एवं क्षैत्रीय अधिकारी राज.राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के अधिकारियों की बैठक दिनांक 20.10.2022 को जोविप्रा जोधपुर में आयोजित की गई। बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

3. कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 3250 लाख की कार्योतर स्वीकृति जारी करने हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत

4. कार्य की एकल निविदा होने के कारण तत्कालीन एस.ओ.पी के आईटम स. 9 के फुटनोट स. 11 के अनुसार Next Higher Authority यानि प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (Executive Commmittee) से निविदा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

Scanned with CamScanner

5. माननीय उच्च न्यायायल में दायर याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 5020/2020 में प्राप्त निर्देशों की पालना में मैसर्स रामकी एनवायरों लिमिटेड हैदाराबाद को भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

6.मैसर्स रामकी एनवायरों लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किये गये कार्य का पूर्व में किये गये भुगतान की कर्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:—

1— निदेशक—अभियांत्रिकी द्वारा एजेण्डे के संलग्न दोनों रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जाये।

2— जांच कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये सुझाव अनुसार तत्समय रूपये 500 लाख से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जो आयुक्त के क्षैत्राधिकार में नहीं थी, की स्वीकृति इस हेतु सक्षम कार्यकारी समिति से लिये जाने के क्रम में राशि रूपये 3250.00 लाख की प्रशासनिक एव वित्तीय कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया,

3— जांच कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये सुझाव अनुसार एकल निविदा होने से इस हेतु सक्षम कार्यकारी समिति में निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया,

4— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णयों के प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक 25 जनवरी, 2022 तक रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जानी है।

4— प्रकरण के समस्त तथ्य अंकित कर प्रकरण राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: खरबूजा बावड़ी से राजाराम सर्किल होते हुए कबीर नगर तक बरसाती नाला निर्माण कार्य" में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में कार्य की राशि रूपये 785.35 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की अनुशंषा के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	"खरबूजा बावड़ी से राजाराम सर्किल होते हुए कबीर नगर तक बरसाती नाला निर्माण कार्य" में क़ार्यकारी समिति की प्रत्याशा में कार्य की राशि रूपये 785.35 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

खरबूजा बावड़ी क्षेत्र में वर्षाकालीन सत्र के दौरान आस—पास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। इस बार भी अत्यधिक वर्षा से उक्त क्षेत्र जलमग्न हो गया। स्थानीय निवासियों द्वारा स्थायी समाधान हेतु धरना दिया गया। खरबूजा बावड़ी में वर्षा जल निकासी समाधान हेतु माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा मौका निरीक्षण किया एवं स्थायी समाधान हेतु वर्षाकालीन जल को ओवर—फ्लो के रूप में निकासी के लिये बरसाती नाला निर्माण का निर्देश प्रदान किया। निर्देशों की पालना में उपरोक्त कार्य का राशि रूपये 785.35 लाख का तकमीना बनाया गया। उक्त कार्य हेतु राशि रू 785.35 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में आयुक्त महोदय जो.वि.प्रा, जोधपुर द्वारा दिनांक 23.11.2022 द्वारा जारी कर दी गई है।

Scanned with CamScanner

अतः कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में राशि रू. 785.35 लाख की जारी की गई प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: "Construction of New Proposed Road from Ramdwara to Rawti Ghoda Ghati Bypass" में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में कार्य की राशि रूपये 1890.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की अनुशंषा के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	"Construction of New Proposed Road from Ramdwara to Rawti Ghoda Ghati Bypass" में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में कार्य की राशि रूपये 1890.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

वर्तमान में चल रही रावटी सड़क चौड़ाई कम होने व घुमावदार मोड़ होने के कारण दुर्घटना की संभावना होने के साथ–साथ आमजन को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ता है। जिस कारण बड़ा रामद्वारा रावटी से घोड़ा घाटी रावटी तक बाईपास सड़क निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। उक्त बाईपास सड़क निर्माण किये जाने से नागौर रोड़ से बालसमंद क्षेत्र होते हुए जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल मण्डोर उद्यान, मेहरानगढ़ फोर्ट एवं कायलाना झील एवं सूरसागर होते हुए जैसलमेर रोड़ तक का यातायात सुगम हो सकेगा। उक्त सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने से जोधपुर की मण्डोर रोड़ के यातायात दबाव कम होगा।

माननीय जिला कलक्टर महोदय व जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ उपरोक्त बाईपास सड़क निर्माण का मौका निरीक्षण किया तथा जिला कलक्टर कार्यालय में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उपरोक्त बाईपास के निर्माण के निर्देश प्रदान किये गये। बड़ा रामद्वारा से रावटी घोड़ा घाटी तक बाईपास का निर्माण किया जाना है, जिस पर 1890.00 लाख की लागत है। उक्त कार्य हेतु राशि रू 1890.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में आयुक्त महोदय जो.वि.प्रा, जोधपुर द्वारा दिनांक 23.11.2022 द्वारा जारी कर दी गई है।

अतः कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में राशि रू. 1890.00 लाख की जारी की गई प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: भूखण्ड संख्या 533 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर आवासीय योजना का भूखण्ड आवंटन बाबत्।

Scanned with CamScanner

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	भूखण्ड संख्या 533 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर आवासीय योजना का भूखण्ड आवंटन हेतु अभिषंशा की गई है।

प्रार्थी मोहम्मद अनीस पुत्र मोहम्मद आरिफ द्वारा राजीव गांधी आवासीय योजना में आवेदन पत्र मासिक आय 10001 से 15,000/- में 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण राशि 10,000/- जरिए चालान 55777 द्वारा जमा करवाए गए थे।

प्रार्थी को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या ई- 286 राजीव गांधी नगर योजना में आवंटित हुआ था। आवंटन में जांच अधिकारी द्वारा जांच में बताया गया कि प्रार्थी श्री मो. अनीस के नाम से भूखण्ड संख्या 286 सेक्टर ई राजीव गांधी नगर योजना के नाम से आवंटित है जबकि मो. अनीस द्वारा धरोहर राशि 10,000/- जमा करवाई गई है तथा लॉटरी में आवेदन पत्र संख्या 19201 श्रीमती सुनिला व्यास का है जबकि नाम श्री मोहम्मद अनीस का है। उक्त भूखण्ड आय वर्ग से अधिक का है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटित भूखण्ड संख्या 286 सेक्टर ई राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड के एवज में अन्य भूखण्ड दिलवाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 27.01.2013 के निर्णयानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के लॉटरी समिति बैठक पत्रांक 7882-86 दिनांक 11.06.2010 के बैठक कार्यवाही विवरण के क्रम सं. 7 में निर्णय लिया गया है कि यदि किसी आवेदक का आवंटन प्राधिकरण की गलती से आरक्षित श्रेणी में हो गया हो तो उसे सही मानते हुए आवंटन किया जावें, यदि प्रार्थी स्वयं ने ही गलत वर्ग को चिन्हित किया हो तो आवंटन निरस्त किया जावें। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि लॉटरी कम्प्युटर की त्रुटि से आय वर्ग भूखण्ड की साईज आवेदनानुसार पुनः लॉटरी के द्वारा 90 वर्गमीटर वर्तमान आरक्षित दर के अनुसार एवं आवेदन पत्र में अंकित शर्त अनुसार भूखण्ड आवंटित किया जाए इससे पूर्व संबंधित से समिति के निर्णयानुसार भापथ पत्र प्राप्त करें।

प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण के कनिश्ठ अभियंता के साथ मौका देखा गया जिसके अनुसार रिक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड राजीव गांधी नगर येाजना सेक्टर एच भूखण्ड संख्या 533 का भूखण्ड आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की है।

निलामी शाखा तथा वसूली शाखा की रिपेार्ट अनुसार राजीव गांधी नगर योजना भूखण्ड संख्या 533 सेक्टर एच का भूखण्ड रिक्त है।

अतः प्रार्थी के आय वर्ग अनुसार तथा प्रार्थी से प्राप्त सहमति अनुसार भूखण्ड संख्या 533 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर योजना क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का भूखण्ड वर्तमान आरक्षित दर से आवंटन किया जाने वास्ते प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सूचीबद्ध कर इकजाई रूप से निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: श्री नरपत सिंह चौहान पुत्र श्री अमर सिंह जी भूखण्ड संख्या 534 दंतोपंत ढेगडी नगर येाजना का भूखण्ड आवंटन बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव

Scanned with CamScanner

1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	श्री नरपत सिंह चौहान पुत्र श्री अमर सिंह जी भूखण्ड संख्या 534 दंतोपंत ढेगडी नगर योजना का भूखण्ड आवंटन करने की अभिशषा की गई है।

श्री नरपत सिंह चौहान पुत्र श्री अमर सिंह जी भूखण्ड संख्या 534 दंतोपंत ढेगडी नगर योजना 250 वर्गमीटर का भूखण्ड दिनांक 25.07.2008 को लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ था।

प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र संख्या 0280 भूखण्ड साईज 250 वर्गमीटर के लिए आवेदन किया गया था जिसका आय ग्रुप 12001/— से 20,000/— एवं मासिक आय 30,393/— प्रतिमाह दर्शायी गयी थी। योजना की लॉटरी दिनांक 25.07.2008 को निकाली गयी थी जिसमें प्रार्थी के नाम भूखण्ड संख्या 534 साईज 250 वर्गमीटर का आवंटन होने पर आवंटन पत्र संख्या 4166 दिनांक 25.08.2008 को जारी किया गया था। जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) के निर्णयानुसार आवेदित भूखण्ड की अधिकतम मासिक आय 20,000/— तक प्रतिमाह ही निर्धारित होने से प्राधिकरण के द्वारा भूखण्ड निरस्त किया गया तथा प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि को आवेदन पुस्तिका के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार जब्त कर ली गयी तथा धरोहर राशि के अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा जमा करवायी गयी शेष भूखण्ड की राशि 255413/— रसीद संख्या 045123 दिनांक 01.10.2008 व लीज राशि शून्य भूखण्ड पेटे अन्य राशि शून्य, योग रूपये 255413/— लौटाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के एस.बी.सिविल रिट पीटीशन नं. 3672/21 नरपत सिंह वर्सेज जेडीए में वाद दायर किया गया था जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड का आवंटन दिनांक 04.08.2014 को बहाल किया गया था। अतः वर्ष 2014 के आरक्षित दर के अनुसार 5400×250, रूपये 13,50,000/— जमा कराने पर प्रार्थी सहमत हो तो आवंटन बहाली की आगामी कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।

प्रार्थी द्वारा वर्ष 2014 के आरक्षित दर के अनुसार 5400×250, रूपये 13,50,000/— जमा कराने पर प्रार्थी ने अपनी सहमती प्रस्तुत की है।

प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 15.09.2022 की प्रतिलिपी माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार भूखण्ड की राशि जमा कराने का निवेदन किया है। निवेदन के क्रम में प्राधिकरण के विधि शाखा से रिपोर्ट ली गयी रिपोर्ट अनुसार माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.09.2022 के द्वारा याचिका संख्या 3672/21 नरपत सिंह वर्सेज जेडीए में निर्णय दिनांक 02.03.2021 की पालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन का निस्तारण कर दिये जाने के आधार पर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया गया साथ ही अभ्यावेदन निस्तारण से असंतुष्ट होने पर प्रार्थी को विधि अनुसार कोई कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गयी। प्रार्थी के अभ्यावेदन के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अतः भूखण्ड संख्या 534 दंतोपंत ढेगडी नगर योजना का आवंटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रकरण में वर्ष 2014 की प्रभावी आरक्षित दर पर प्रार्थी को उनकी सहमति के आधार पर भूखण्ड बहाल/आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: माननीय उच्च न्यायालय कि पालना में श्री भीमकान्त व्यास पुत्र श्री हरि नारायण व्यास को रामराज नगर भूखण्ड आवंटन बाबत्।

Scanned with CamScanner

क.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	माननीय उच्च न्यायालय कि पालना में श्री भीमकान्त व्यास पुत्र श्री हरि नारायण व्यास को रामराज नगर भूखण्ड आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

श्री भीमकान्त व्यास पुत्र श्री हरि नारायण व्यास को लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या 297 सेक्शन 1 रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हुआ था। भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित आय ग्रुप से प्रार्थी कि आयग्रुप कम होने के कारण प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिया गया।

श्री भीमकान्त व्यास पुत्र श्री हरि नारायण व्यास द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके साथ S.B.C.W.P.NO- 5643/2014 में पारित निर्णय 19.01.2022 की प्रति संलग्न कर भूखण्ड संख्या 297 सेक्टर 1 रामराज नगर योजना का निरस्तीकरण आदेश दिनांक 19.03.2013 अपास्त कर दिया गया है और मूल आवंटित भूखण्ड अथवा भूखण्ड संख्या 25 सेक्टर 4 रामराज नगर को आवंटित करने का निवेदन किया है।

विधि शाखा के पत्रांक 42/विधि/जेडीए/25/4/2022 दिनांक 31.03.2022 के द्वारा दिनांक 15.03.2022 को अपली /नो अपील बाबत स्थाई समिति (अपील) की बैठक में याचिका संख्या 5643/2014 भीमकान्त व्यास बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2022 के विरूद्व अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है।

प्रकरण में वसूली शाखा के अनुसार भूखण्ड संख्या 297 सेक्टर 1 रामराज नगर योजना जरिये लॉटरी दिनांक 22.02.2018 के द्वारा अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार को आवंटित कर दिया गया तथा भूखण्ड संख्या 25 सेक्टर 4 वर्ष 2015 में माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में सुनीता कल्ला को आवंटित किया जा चुका है व भूखण्ड की लीज डीड भी सुनीता कल्ला के नाम जारी की जा चुकी है।

माननीय उच्च न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2022 के द्वारा पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समतुल्य भूखण्ड दिये जाने का आदेश है। निर्णय की पालना में प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता के समतुल्य भूखण्ड की रिपोर्ट ली गई। कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 297 सेक्टर 1 में 322.46 वर्गमीटर नाप का था। इसके समकक्ष सेक्टर 1 में भूखण्ड संख्या 110, 111 एवं 112 है जिसका नाप प्रत्येक 281.22 वर्गमीटर है।

प्राधिकरण के पत्र दिनांक 30.09.2022 को प्रार्थी को पत्र प्रेषित कर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2022 की पालना में समकक्ष भूखण्ड रामराज नगर सेक्टर 1 भूखण्ड संख्या 110, 111 एवं 112 में से किसी एक भूखण्ड की लिखित सहमति मांगी गई। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 112 सेक्टर 1 की लिखित सहमति कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गयी है।

वसुली शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 112 सेक्टर 1 मौके पर रिक्त है तथा उक्त भूखण्ड की लीज डीड किसी अन्य को जारी नही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय की निर्णय की पालना में प्रार्थी श्री भीमकान्त व्यास को भूखण्ड संख्या 112 सेक्टर 1 आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष वास्ते विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार प्रार्थी श्री भीमकान्त व्यास को भूखण्ड संख्या 112 सेक्टर–1 आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 17 :: भूखण्ड संख्या 28 सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में ।
श्री नरपत सांखला पुत्र श्री मोहन लाल

भूखण्ड स. 21 सेक्टर ए विज्ञान नगर आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 20.10.2015 को क्षेत्रफल 20 बाई 45 = 83.61 वर्गमीटर का श्री पांचाराम पुत्र श्री चौथाराम को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 142 दिनांक 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है एवं राशि दिनांक 17.4.2016 को जमा कराई जा चुकी हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है एवं राशि दिनांक 17.4.2016 को जमा कराई जा चुकी हैं। जो 94 दिवस देरी से जमा है। सक्षम स्तर से स्वीकृति नही है। जिसके अनुसार एक वर्ष 2 माह की अवधि हो चुकी हैं। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः–:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)

1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/ बहाल में निम्न राशि करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को समस्त तथ्यों का समावेश कर निर्णयार्थ (नियमानुसार बकाया कीमत राशि जमा कराने की स्वीकृति बाबत) प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण संख्या 15, 16, 17 में आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड कॉर्नर के नहीं हो।

प्रस्ताव संख्या 18 :: प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/ स्थायी कर्मचारियों को जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 72 व 82 ग्राम चौखा नई कॉलोनी विकसित कर आरक्षित दर पर भूखण्ड आंवटन बाबत।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।	प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/ स्थायी कर्मचारियों को जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 72 व 82 ग्राम चौखा नई कॉलोनी विकसित कर आरक्षित दर पर भूखण्ड आंवटन बाबत।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.11.2022 के प्रस्ताव संख्या–3 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण कार्यालय में कार्यरत समस्त प्रतिनियुक्ति अधिकारीगण एंव स्थायी

Scanned with CamScanner

कर्मचारी की वेतन श्रंख्ला के आधार पर श्रेणीवार विभक्त कर सूची प्राप्त हो चुकी है जो कि निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	श्रेणी	आय वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
1	अल्प आय वर्ग ग्रुप– ए	जिनकी आय सालाना 3 लाख से अधिक नहीं हो	4
2	अल्प आय वर्ग ग्रुप– बी	जिनकी आय सालाना 3 लाख से 6 लाख के मध्य हो	29
3	मध्यम आय वर्ग	जिनकी आय सालाना 6 लाख से 10 लाख के मध्य हो	86
4	उच्च आय वर्ग	जिनकी आय सालाना 10 लाख से अधिक हो	69

उक्त योजना में प्राधिकरण कार्यालय में कार्यरत समस्त प्रतिनियुक्ति अधिकारीगण एंव स्थायी कर्मचारी को वेतन श्रंख्ला के आधार पर श्रेणीवार विभक्त कर ग्राम चौखा के खसरा नं. 72 व 82 में स्थित योजना में आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन करवाने का निवेदन किया है अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जोधपुर शहर में पदस्थापित अन्य राजकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को भूखण्ड आवंटन करने के लिए अन्य योजना भी बनायी जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान परिसर में जीर्णोद्वार कार्यो के संबंध मे निर्णय बाबत्।

क सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	शाला क्रीडा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान परिसर में विभिन्न जीर्णोद्धार कार्यो हेतु शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग से राशि रू. 694.00 लाख प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को कार्यकारी समिति में अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 03 मार्च 2022 को सामान्य वाद–विवाद अन्तर्गत की गई बजट घोषणाओं के बिन्दु संख्या 30(IV) की क्रियान्वित में जोधपुर में शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र गौशाला मैदान परिसर में वॉक पथ एवं परिसर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण को को नोडल एजेन्सी नियुक्त किये जाने एवं कुल अनुमानिल लागत राशि रू. 1388.00 लाख की 50 प्रतिशत राशि रू. 694.00 लाख राज्य मद से उपलब्ध करवाये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 102206379 दिनांक 24.11.2022 द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है।

शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.17(10)शिक्षा–6/2022/जोधपुर, जयपुर दिनांक 08.12.2022 के सन्दर्भ में एवं श्रीमान जिला कलक्टर के निर्देशानुसार राशि रू. 694.00 लाख <u>प्राप्त होने की प्रत्याशा में बजट मद 5007–22 (डिपोजिट कार्य) में उक्त कार्यो की प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई</u> है।

Scanned with CamScanner

अतः कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी निम्न प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (राशि रू. लाखों में)	जोन
1	शाला क्रीड़ा संगम गौशाला परिसर में खिलाड़ियों हेतु हॉस्टल निर्माण कार्य।	235.65	पूर्व
2	गौशाला मैदान के क्रिकेट मैदान व प्रैक्टिस एरिया का विकास कार्य	123.00	पूर्व
3	शाला क्रीड़ा संगम गौशाला परिसर में खिलाड़ियों हेतु केन्टिन व डायनिंग हॉल का निर्माण कार्य	64.00	पूर्व
4	गौशाला परिसर का पैवेलियन डिस्मेन्टल एवं पुनः निर्माण कार्य	50.00	पूर्व
5	शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में सिन्थेटिक वालीबाल कोर्ट का निर्माण कार्य	22.00	पूर्व
6	गौशाला मैदान में एथेंलेटिक्स उपकरण Track & Field Equipment सप्लाई हेतु	20.00	पूर्व
7	Supply of Juddo Equipment for Judo hall at gaosala maidan jodhpur	14.00	पूर्व
8	शाला क्रीड़ा संगम गौशाला परिसर में वेलनेस ट्रेक के निकट ऑपन जिम का कार्य	10.00	पूर्व
9	शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में जिम उपकरण सप्लाई का कार्य	8.00	पूर्व
10	शाला क्रीड़ा संगम गौशाला में झूले लगाने का कार्य	3.00	पूर्व
11	शाला क्रीड़ा संगम गौशाला परिसर जोधपुर के पेवेलियन मे नये पंखे लगाने एवं नये पेनल लगाने व मरम्मत कार्य।	6.00	विद्युत–प्रथम
12	SITC of Fountain at Shala Krida Sangam Maidan	14.00	विद्युत–प्रथम
13	गौशाला मैदान के क्रिकेट ग्राउण्ड में एलईडी फ्लड़ लाईट लगाने बाबत्।	80.00	विद्युत–प्रथम
14	शाला क्रीडा संगम केन्द्र परिसर गौशाला मैदान में सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने का कार्य।	6.00	विद्युत–प्रथम
15	शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान में अन्य विकास कार्य।	38.35	
	कुल राशि	**694.00 Lakh**	

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: Development of Garden (Green space) using junk material at Surpura Dam Jodhpur (Phase-2) की लागत राशि रू. 1397.97 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की चार भागो i) Sculpture and art work Rs. 583.24 lacs ii) civil work Rs. 499.82 lacs iii) Horticulture work Rs. 132.43 lacs (iv) Electrical work Rs. 182.48 lacs लाख में संशोधन हेतु।

Scanned with CamScanner

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Development of Garden (Green space) using junk material at Surpura Dam Jodhpur (Phase-2) की लागत राशि रू. 1397.97 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की चार भागो i) Sculpture and art work Rs. 583.24 lacs ii) civil work Rs. 499.82 lacs iii) Horticulture work Rs. 132.43 lacs (iv) Electrical work Rs. 182.48 lacs में संशोधन की अनुशंषा की जाती है।

कार्य के मुख्य घटको Sculpture and art work ii) civil work iii) Horticulture work (iv) Electrical work में से तीन घटको में कार्यादेश जारी हो चुका हैं तथा Electrical work में आमंत्रित बिड में प्राप्त दरो का नेगोशियेशन पश्चात कार्यादेश राशि रू. 230.00 लाख (200.00 लाख कार्यादेश + 30.00 Lacs संभावित अधिक व अतिरिक्त कार्य की राशि को सम्मलित करते हुये) प्राप्त हुई है। Electrical work के लिये पूर्व में राशि रू. 182.48 लाख आवंटित किये गये थे, लेकिन Electrical work के लिये बी.एस.आर. 2022 (Electrical) के अनुसार संशोधित तकमीना के अनुसार आमंत्रित बिड में प्राप्त कार्यादेश राशि आवंटित राशि से रू. 47.52 लाख अधिक है। कार्य के घटक Sculpture and art work के लिये आवंटित राशि रू. 583.24 लाख के विरूद्ध कार्यादेश राशि रू. 400.23 लाख जारी किया गया है। उक्त घटक में राशि रू. 183.01 लाख की बचत है। Sculpture and art work के लिये आवंटित राशि में से Electrical work के लिये राशि रू. 47.52 लाख आवंटित/Split की स्वीकृति प्रदान करते हुये पूर्व में आवंटित राशि में संशोधन i) Sculpture and art work Rs. 535.72 lacs (ii) Electrical work Rs. 230.00 lacs की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य की Splitting करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2022/ भाग–13/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 73 /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2022/1854-72 दिनांक :: 16 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. निजी सचिव, जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

Scanned with CamScanner

05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर

06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर

07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर

08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर

09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर

10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा

11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर

12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर

13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

14. उपायुक्त–1/2/3/4/5/6/उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।

18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

19. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with CamScanner

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री मधुलिका सवर, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक), जोधपुर
2. श्री जे.सी. व्यास, अधीक्षण अभियन्ता (सिटी), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
3. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता (सिटी), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री चैनसिंह महेचा, अतिरिक्त उपायुक्त, (यातायात), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट
6. श्री अनिल कुमार, सहायक उपायुक्त (यातायात), यातायात पुलिस, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
7. श्री ए.के. सक्सैना, वरिष्ठ क्षैत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
8. श्री बी.आर. बेरा, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री डी.के. गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण
10. श्री एस.सी. जैन, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–उत्तर
11. श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक–अभियांत्रिकी (कार्यवाहक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री केवलचन्द गहलोत, निदेशक–वित्त (कार्यवाहक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री रवीन्द्र कुमार, उपायुक्त–3, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री प्रकाश अग्रवाल, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000

0

Scanned with CamScanner